

परियोजना का नाम:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से देसऊ
मोटर मार्ग लम्बाई-12.675 कि०मी० के नव निर्माण हेतु वन
भूमि प्रस्ताव ।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
हरिद्वार(मुख्यालय-कालसी)


संयोजक, संरक्षण
चक्राता वन प्रभाग
चक्राता देहरादून

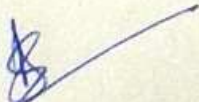

उप जमातीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चक्राता वन ए.प.

परियोजना का नाम:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से देसऊ
मोटर मार्ग लम्बाई-12.675 कि०मी० के नव निर्माण हेतु वन
भूमि प्रस्ताव ।

रिक्त पड़े सीनों पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित
वृक्षारोपण हेतु प्रति कि०मी०-रु०- ^{2.0 लाख/मिमी} 71794.87 लाख के दर से कुल रु०- ¹⁰ 9,10,000.00 लाख की धनराशि
वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी । ^{25,35,000.00}


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
हरिद्वार(मुख्यालय-कालसी)


प्रभासीय वन्यधिकारी
कसता वन प्रभाग
कसता देहरादून


उप प्रभासीय वन्यधिकारी
कालसी उप व
चक्राता वन

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कराने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र 5.8695 है0 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्त अनुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.2 प्रतिशत है जिस हेतु एन0पी0वी0 की प्रति है0 दर रू0 8.45 मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन रू0 49.592 किया गया है तथा वार्षिक लीज रेंट 00.00 प्रतिशत की दर से 00.00 रू0 होता है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

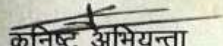

उप प्रशासी वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चकराता वन



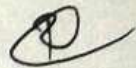

प्रशासी वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)

दुग्ने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने
का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रायोजन हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार योक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून




प्रमाणित वन अधिकारी
चक्रवर्ती वन विभाग
देहरादून


उप प्रमाणित वन अधिकारी
चक्रवर्ती वन विभाग
देहरादून

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से देसऊ
मोटर मार्ग लम्बाई-12.675 कि०मी० के नव निर्माण हेतु
वन भूमि प्रस्ताव ।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा ।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय-कालसी)



प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चतुर्गुप्त वन ए.एम.



प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चतुर्गुप्त वन ए.एम.